

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 82 of 2023

Sub: Transfer of Subject related to Ballast Less Track (BLT).

It has been decided to transfer the subject of Ballast Less Track from CE-IV branch of Civil Engineering Dte. to Track-I branch of Track Dte.

2. Accordingly, the subject list of CE-IV branch and Track-I branch have been revised as per following:-

Name of the Branch	Item No. of the Subject List	Revised/Added as	
CE-IV	3	All the technical issues and related policies concerned with RFO, FOB and washable platforms. Other issues such as sanction of work, progress monitoring, Parliamentary matters, RTI, Audit Para, CA-III etc. will continue to be dealt by concerned directorate dealing with the respective plan head.	
Track-I	12	All the technical issues and related policies concerned with Ballast Less track. In this regard technical input may be obtained from CE-IV Branch as per requirement	

3. The above issues with the approval of the competent authority.

No. 2023/O&M/7/25

Dated: 29.12.2023

(T. Srinivas) Joint Secretary/Railway Board

Tele No. 011-23387362 Email: t.srinivas1@gov.in

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and Daya Basti, New Delhi.

Copy to:-

EDPG/MR, EDPG/MoSR(D), EDPG/MoSR(J).

CE-IV

Road Over/Under Bridges/Foot Over Bridges:

- Sanction and Monitoring of Construction of Road Over/Under Bridges in lieu of busy level crossing qualifying for replacement by ROB/RUB
- ii) Sanction and Monitoring of construction of Foot Over Bridges for General Public, at places not covered under Passenger Amenity Works.
- iii) Works Programme for Plan Head-30 Railway Safety-Road Over Bridges/Under Bridges/FOBs.
- iv) Coordination of correction slips related to LCs and ROBs/RUBs.
- v) CA-III reference, RTI, Draft Para/Audit Para, Parliament question and other issues related to Parliamentary committees item in respect of Level Crossings/ROB/RUBs/Public FOBs.
- vi) Draft Para for "Annual Report & Accounts Book" & Railway's Year Book on Road Over Bridges/Road under Bridges etc.
- vii) Research Centre-Coordination all committee's Reports in respect of ROB/RUB/FOB.
- viii) Works Programme related to ROB/RUBs.

Level Crossing

- i) Provision of new level crossings.
- ii) Manning of unmanned level crossings.
- iii) Upgrading of level crossing.
- iv) Provision of lifting barriers at non-interlocked level crossings.
- v) Closure of level crossings.
- vi) Re-opening of level crossings.
- vii) Stop Boards and other road warning boards at level crossings.
- viii) Detention of Road traffic at level crossings outside Station limits.
- ix) National Highways in respect to level crossing works (Civil), Chargeable to Plan Head 29: Road Safety Works-Level Crossings
- x) Correction slips of Engineering code, Engineering Standing Orders etc. in respect of level crossing.
- xi) Draft Para for Railway Board Administrative Report in respect of level crossings for "Railway Year Book and Annual Reports and Accounts Book".
- 3. All the technical issues and related policies concerned with RFO, FOB and washable platforms. Other issues such as sanction of work, progress monitoring, Parliamentary matters, RTI, Audit Para, CA-III etc. will continue to be dealt by concerned directorate dealing with the respective plan head. (Subject revised vide Office Order No. 82 of 2023)

mx

TRACK - I

A) Track Procurement & Policy

- Development/improvement of track material: Floating of tenders and placement of contracts and distribution of new/improved Switches, Switch Expansion Joints and Crossings viz., Thick Web Switches, Switch Expansion Joints, Wieldable CMS Crossings, etc., and monitoring of contracts thereof.
- Planning, procurement, import and export of rails including endforged, corrosion free and head hardened rails, allotment of rails, issuing of bulk indents of rails and work relating to production schedule meeting. Allotment of track materials to private and assisted sidings.
- Matters related to Insulated Glued Joints.
- 4. Monitoring receipt and utilization of new and second hand track materials for the Railways.
- Flash Butt Welding Plants on Zonal Railways and matters related to Mobile Flash Butt Welding.
- Matters related to AT welding.
- 7. Rail wields failures and USFD testing.
- 8. Permission for sale of second hand P.Way materials to Private parties.
- 9. Matters related to prevention of Corrosion of rails.
- 10. Matters related to Fish Plates.
- 11. Allotment of wagons for fabrication of End Unloading Rakes (EURs).
- 12. All the technical issues and related policies concerned with Ballastless track. Technical input in this regard may be obtained from CE-IV Branch as per requirement. (Subject added vide Office Order No. 82 of 2023)



भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2023 का कार्यालय आदेश सं. 82

विषय: गिट्टी रहित रेलपथ से संबंधित विषय का हस्तांतरण

गिट्टी रहित रेलपथ विषय को सिविल इंजीनियरिंग निदेशालय की सीई-IV शाखा से रेलपथ निदेशालय की रेलपथ-1 शाखा में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

2. तदन्सार, सीई-IV शाखा और रेलपथ-I शाखा की विषय सूची को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

शाखा का नाम	विषय सूची की मद सं.	निम्नानुसार संशोधित/जोड़ा गया
And the second second		रेल पुल, पैदल पार पुल और धोने
		योग्य प्लेटफार्मीं से संबंधित सभी
सीई-IV	3	तकनीकी मुद्दे और संबंधित
		नीतियां। कार्य स्वीकृति, प्रगति
		निगरानी, संसदीय मामलों,
		आरटीआई, लेखापरीक्षा पैरा सीए-॥
		आदि जैसे संबंधित योजना शीर्ष
		वाले अन्य मुद्दे संबंधित निदेशालय
		द्वारा निपटाया जाना जारी रहेगा।
		गिट्टी रहित रेलपथ से संबंधित सभी
		तकनीकी मुद्दे और संबंधित
रेलपथ-।	12	नीतियां। इस संबंध में तकनीकी
		इनपुट आवश्यकतानुसार सीई-IV
		शाखा से प्राप्त किया जाए।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं.2023/ओएंडएम/7/25

दिनांक: 29.12.2023

(टी. श्रीनिवास) संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

टेलीफोन नं. 011-23387362

ईमेल: t.srinivas1@gov.in

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं। प्रतिलिपि प्रेषित:-

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (जे)।

सीई-IV

1. उपरि/निचले सड़क पुल/पैदल पार पुल:

- i) उपरि/निचले सड़क पुल से प्रतिस्थापन हेतु अर्हक व्यस्त समपारों के स्थान पर उपरि/निचले सड़क पुल के निर्माण की स्वीकृति और निगरानी
- ii) यात्री सुविधा कार्यों के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए स्थानों पर आम जनता के लिए पैदल पार पुल के निर्माण की स्वीकृति और निगरानी।
- iii) योजना शीर्ष-30 रेल संरक्षा के लिए निर्माण कार्यक्रम-सड़क उपर/निचले सड़क पुल/पैदल पार पुल।
- iv) समपारों सड़क उपरि/निचले सड़क पुल से संबंधित शुद्धि पर्चियों का समन्वय।
- v) सीए-III संदर्भ, आरटीआई, मसौदा पैरा/लेखापरीक्षा पैरा, संसदीय प्रश्नोत्तर और समपारों/उपरि/निचले सड़क पुल/सार्वजनिक पैदल पार पुल के संबंध में संसदीय समितियों की मद से संबंधित अन्य मुद्दे।
- vi) पुल के अंतर्गत उपरि/निचले सड़क पुल पर "वार्षिक रिपोर्ट और लेखा" और "रेलवे वार्षिकी आदि के लिए मसौदा पैरा।
- vii) अनुसंधान केंद्र- उपरि/निचले सड़क पुल/पैदल पार पुल के संबंध में सभी समिति रिपोर्टी का समन्वय।
- viii) सड़क उपरि/निचले सड़क पुल से संबंधित निर्माण कार्यक्रम।

2. समपार

- i) नए समपारों का प्रावधान।
- ii) मानव रहित रेल समपारों पर चौकीदारों की तैनाती।
- iii) समपारों का उन्नयन।
- iv) गैर-अंतर्पाशित समपारों पर उठान फाटकों का प्रावधान।
- v) समपारों को बंद करना।
- vi) समपारों को पुनः खुलवाना।
- vii) समपारों पर स्टॉप बोर्ड और अन्य सड़क चेतावनी बोर्ड लगाना।
- viii) स्टेशन सीमा के बाहर समपारों पर सड़क यातायात की रुकौनी।

- ix) समपार निर्माण कार्यों (सिविल) के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग, योजना शीर्ष 29 के लिए प्रभार्य: सड़क सुरक्षा कार्य-समपार
- x) समपार के संबंध में इंजीनियरिंग संहिता, इंजीनियरिंग स्थायी आदेश आदि की शुद्धि पर्चियां।
- xi) "रेलवे वार्षिकी" तथा वार्षिक रिपोर्ट और लेखा" के लिए समपारों के संबंध में रेलवे बोर्ड प्रशासनिक रिपोर्ट के लिए मसौदा पैरा।
- 3. रेल पुल, पैदल पार पुल और धोने योग्य प्लेटफार्मों से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दे और संबंधित नीतियां। कार्य स्वीकृति, प्रगति निगरानी, संसदीय मामले, आरटीआई, लेखापरीक्षा पैरा, सीए-III आदि जैसे संबंधित योजना शीर्ष वाले अन्य मुद्दे संबंधित निदेशालय द्वारा निपटाया जाना जारी रहेगा। (2023 के कार्यालय आदेश सं. 82 द्वारा संशोधित विषय)

रेलपथ-।

क) रेलपथ प्रापण और नीति

- 1. रेलपथ सामग्री का विकास/सुधार:निविदाओं को जारी करना और निविदाएं देना और नए/बेहतर स्विचों, स्विच विस्तार जोड़ों का वितरण और क्रॉसिंग जैसे थिक वेब स्विच, स्विच विस्तार जोड़, उपयोग योग्य सीएमएस क्रॉसिंग आदि और तत्संबंधी संविदाओं की निगरानी।
- 2. अंत जाली, संक्षारण मुक्त हैड हार्डेंड पटिरयों और रेलों सिहत रेलों की योजना, प्रापण, आयात एवं निर्यात, पटिरयों का आवंटन, पटिरयों के थोक मांग पत्र जारी करना और उत्पादन अनुसूची बैठक से संबंधित कार्य। निजी और सहायता प्राप्त साइडिंगों के लिए रेलपथ सामग्री का आवंटन।
- 3. विदयुतरोधी ग्लूड जोड़ से संबंधित मामले।
- 4. रेलों के लिए नई और पुरानी रेलपथ सामग्री की प्राप्ति और उपयोग पर निगरानी रखना।
- 5. क्षेत्रीय रेलों पर फ्लैश बट वेल्डिंग संयंत्र और मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग से संबंधित मामले।
- 6. एटी वेल्डिंग से संबंधित मामले।
- 7. पटरी वेल्डिंग में खराबी और यूएसएफडी परीक्षण।।
- 8. निजी पार्टियों को पुरानी रेल पथ सामग्री की बिक्री की अनुमति।
- 9. पटरियों के संक्षारण की रोकथाम से संबंधित मामले।
- 10. फिश प्लेटों से संबंधित मामले।
- 11. एंड अनलोडिंग रेक (ईयूआर) के निर्माण हेतु सवारी डिब्बों का आवंटन।
- 12. गिट्टी रहित रेलपथ से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दे और संबंधित नीतियां। इस संबंध में तकनीकी इनपुट सीई-IV शाखा से आवश्यकतानुसार प्राप्त किया जाए। (2023 के कार्यालय आदेश सं. 82 द्वारा जोड़े गए विषय)